

2018/00351

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम जगदीश राम भादुवागल लाकल

किसम मुकदमा दुखी मुकदमा नं. 158
15/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/374 दिनांक 15.6.18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>लाकल</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>81KB</u> की जमाबन्दी सम्वत् <u>200-13</u> के खाता नं. <u>12</u> ... में खातेदार <u>जगदीश भा. भादुवागल</u> को <u>लाकल</u> का <u>भादुवागल</u> खातेदार अंकित है। जिसका नाम <u>जगदीश भा. भादुवागल</u> है। जिसकी <u>जगदीश भा. भादुवागल</u> के <u>लाकल</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशाषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक <u>19-6-18</u> की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>81KB</u> के खाता नं. <u>12</u> में दर्ज खातेदार <u>जगदीश भा. भादुवागल</u> को <u>लाकल</u> का <u>भादुवागल</u> के <u>लाकल</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर-2018
कैम्प कोर्ट लाकल
उपस्थापिका (राजस्व) रायसिंहनगर